न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फूलियाकलां जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री ओमप्रकाश, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 162/2024
दायर दिनांक :– 24.09.2024

अनवान

रामप्रसाद पिता भूरालाल ब्राहमण नि. धनोप तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

प्रार्थी.....

बनाम

1. शाखा प्रबन्धक, बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण शाखा सांगरिया तहसील फूलियाकलां
2. तहसीलदार फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट. ::

उपस्थित अभिभाषक
1. श्री शिवराज शर्मा, एडवोकेट प्रार्थी,

:: निर्णय :: दिनांक 20.08.2025

प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने पेश कर निवेदन किया की ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप भू. अभि. नि. धनोप तहसील फूलियाकलां में खसरा संख्या 1775 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आ. न. 1776 रकबा 03.7600 हैक्टेयर कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी में दर्ज है। इस कृषि भूमि आराजी भूभाग पर प्रार्थी निरन्तर निर्बाध रूप से काबिज हो काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी के स्वयं की खातेदारी भूमि में आने जाने का कोई स्थाई चिन्हीकरण/रास्ता उपलब्ध नहीं होने से पड़ौसीयों से मिन्नतें करके अपनी स्वयं की आराजीयात तक पहुंचना पडता है। ग्राम धनोप पटवार हल्का क्षेत्र धनोप तहसील फूलियाकलां जिला शाहपुरा की चालू जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 स्थित राजकीय विलानाम भूमि आराजी संख्या 1777 रकबा 1.26 हैक्टयर, आराजी संख्या 1773 रकबा 1. हेक्टयर, आराजी संख्या 1776/4102 रकबा 0.67 हैक्टयर भूमि अप्रार्थी संख्या 02 राज्य पक्ष भूस्वामी तहसीलदार फूलियाकलां के मालिकान हक में अभिलिखित है। आराजी संख्या 1769 गै. मु. रास्ता सरकारी मार्ग के रूप में अभिलेखों में दर्ज है। प्रार्थी के पास अपनी सह खातेदारी भूमि पर पहुंच का कोई स्थाई मार्ग अथवा वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नही है इसलिए पैरा संख्या 01 में वर्णित कृषि भूमि आराजियात में पहुंच हेतु पैरा संख्या 03 में वर्णित राजकीयधबिलानाम खसरान में से होकर प्रार्थी वर्षों से आवागमन रहा है। प्रार्थी अपने खेत पर काश्त के प्रयोजन से कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु पैरा संख्या 03 में वर्णित बिलानाम आराजियात भूभाग का उपयोग करता चला आ रहा है। परन्तु अब भूस्वामी द्वारा मार्ग के उपयोग में रुकावट/बाधा उत्पन्न कर दिये जाने से प्रार्थी का अपनी कृषि भूमि पर पहुंच पाना कठिन हो गया है। प्रार्थी का सम्पूर्ण रूप से कृषि कार्य बाधित हो गया है। जिससे प्रार्थी को आर्थिक मानसिक रूप से क्षति हुई है। मुख्य सडक खसरा संख्या 1769 से पैरा संख्या 03 में वर्णित राजकीय/बिलानाम आराजी संख्या 1777, 1773, 1776/4102 की संयुक्त मेडों के किनारे किनारे होते हुए, प्रार्थी अपनी कृषि भूमि आराजियात 1775, 1776 में प्रवेश करता है। अपने पूर्वजो के समय से ही इसी मार्ग का उपयोग प्रार्थी द्वारा अपने खेत पर आवागमन के साथ कृषि उपकरण, खादबीज, सिंचाई संयत्र आदि लाने ले जाने के प्रयोजन से लिया जा रहा है। अप्रार्थी द्वारा यदि इसी प्रकार से मार्ग में रूकावट उत्पन्न की जाती है, तो प्रार्थीगण को कृषि कार्य से महरूम रहना पडेगा। जबकि कृषि कार्य ही प्रार्थीगण की आजीविका का एक मात्र साधन है। प्रार्थी के पास पैरा संख्या 03 में वर्णित मार्ग के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग मौके पर मौजूद नहीं है। इन्ही कारणों के चलते प्रार्थी

को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विपक्षी द्वारा मार्ग को अवरूद्ध कर देने से प्रार्थी कई मर्तबा कृषि कार्य प्रयोजन से अपने ही खेत पर नही जा पाते है। अतः निवेदन है कि ग्राम धनोप पटवार हल्का धनोप भू. अभि. नि. धनोप तहसील फूलियाकलां में खसरा संख्या 1775 रकबा 0.0600 हैक्टेयर, आ.न. 1776 रकबा 03.7600 हैक्टेयर उक्त कृषि भूमि पर जाने–आने के लिए मुख्य सडक खसरा संख्या 1769 से पैरा संख्या 03 में वर्णित राजकीय/बिलानाम आराजी संख्या 1777, 1773, 1776/4102 की संयुक्त मेडों के किनारे किनारे होते हुए, प्रार्थी के पहुंच खसरा 1775, 1776 तक 20 फिट चौडाई का नवीन मार्ग (सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग हेतु) राजस्व नक्शे में किस्म रास्ता दर्ज किये जाने की आज्ञा पारित कराये जाने की मांग की।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गई।

प्रार्थी की आराजी न. 1775, 1776 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नही तथा वैकल्पिक रास्ता नही होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जॉच कर तहसीलदार फूलियाकलां से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार फूलियाकलां ने जरिये पत्र दिनांक 07.08.2025 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जोत तक पहुंचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नही है। तथा प्रार्थी की जोत तक आने जाने के लिये लघुत्तम रास्ता खसरा नं. 1773, 1777 में से रास्ता देने पर 0.0474 हैक्टेयर भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी की जोत आ.न. 1775, 1776 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी कृषि जोत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यांतिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करा रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमावे।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रकरण से संबधित विधिक प्रावधान निम्नानुसार है किं

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि खातेदारों के बीच मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो धारा 251–क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद–रफत हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है–

1. खातेदार की रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
2. खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।
3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।

प्रार्थी अपने आ.न. 1775, 1776 में आने जाने हेतु ख. न. 1777, 1773, 1776/4102 में से रास्ता चाहते है। तहसीलदार फूलियाकलां की रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 1773, 1777, राजकीय भूमि है। वर्तमान में उक्त राजकीय भूमि में होकर आमजन आ जा सकता है। प्रार्थी भी अपने खेत तक आने जाने में इस सरकारी जमीन का उपयोग कर सकता है। अतः प्रार्थी की या खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता साबित नही होती है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायोचित नही होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर. टी. ए. अस्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 20.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश)
उपखण्ड अधिकारी,
फूलियाकलां (भीलवाडा)